

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 107 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास जाति माली, निवासी वार्ड नं. 22, जोगियों का मौहल्ला, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
2. नरेश कुमार सैनी पुत्र रामनिवास सैनी जाति माली, निवासी वार्ड नं. 22, खातियों का मौहल्ला, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
3. चन्दा देवी पत्नी मुकेश कुमार सैनी जाति माली, निवासी वार्ड नं. 22, जोगियों का मौहल्ला, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
4. राजू सैनी पुत्र रामनिवास सैनी जाति माली, निवासी वार्ड नं. 22, खातियों का मौहल्ला, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 20 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास, नरेश कुमार सैनी पुत्र रामनिवास सैनी, चन्दा देवी पत्नी मुकेश कुमार सैनी एवं राजू सैनी पुत्र रामनिवास सैनी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मुकेश कुमार


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड नगरपालिका मण्डल फतेहपुर की पट्टा पत्रावली नं. 38/22, वार्ड नं. 22, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 176.25 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान सीताराम सांखला, पश्चिम दिशा में मकान गुजनराम, उत्तर दिशा में मकान गिरधारी लाल एवं दक्षिण दिशा में रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 5,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्य1 ता 4 क्रमशः **मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास, नरेश कुमार सैनी पुत्र रामनिवास सैनी, चन्दा देवी पत्नी मुकेश कुमार सैनी एवं राजू सैनी पुत्र**


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रामनिवास सैनी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी गुड्डू कंवर के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड नगरपालिका मण्डल फतेहपुर की पट्टा पत्रावली नं. 38/22, वार्ड नं. 22, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 176.25 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान सीताराम सांखला, पश्चिम दिशा में मकान गुजनराम, उत्तर दिशा में मकान गिरधारी लाल एवं दक्षिण दिशा में रास्ता है उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर